

रमेशचन्द्र

बनाम

हीराबाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

73/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>15/5/20 पत्रावली पेश की। वकूलाय द्वारा कलकत्ता/कर्म रस के कारण की जा सकी पत्रावली दिनांक 30/05/20 को पेश हुआ।</p> <p>30/5/20 पत्रावली पेश हुई। ऊपरपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। इस प्रा. पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा से संबंधित मूलवाद में प्रा. पत्र 07R1, CPC सीकर किया जाकर वारी का वाद खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा का खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा का खारिज होने के कारण खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 24/08/2020 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर के कम होकर काद तकमील दाखिल दफ्तर हो</p> <p>सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर</p>